सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम

मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश राज्य के

वन कार्यालयों/वनमण्डलों की कार्यप्रणाली पर

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19

विषय सूची

स.क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्राक्कथन	1
2.	मुख्य अंश	2–3
3.	भाग–1 : लेखा	4–12
4.	भाग–2 : लेखा परीक्षा	13–15
5.	परिशिष्ट	16–27

प्राक्कथन

वन विभाग, म.प्र. शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसके आहरण एवं संवितरण अधिकारी राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दायित्वों का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। अतएव वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य-प्रणाली एवं नियमों/प्रक्रियाओं के पालन में पाई गई कमियों पर, इस कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन जारी किया जाता है ।

वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य-प्रणाली पर आधारित वर्ष 2018-19 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया है। भाग-एक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों की जाँच के दौरान पाई गई कमियां/त्रुटियाँ/ अनियमितताएं दर्शाई गई हैं एवं भाग-दो में वन कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान, इनकी कार्य- प्रणाली से संबंधित, संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को दर्शाया गया है।

वन विभाग की कार्य-प्रणाली मे नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करने में और मासिक वन लेखों की निर्धारित दिनांक तक, इस कार्यालय में प्राप्ति सुनिश्चित कराने एवं अंक मिलान कार्य को नियमानुसार एवं समय पर पूर्ण करते रहने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन अनियमितताओं को दूर करने में सहायक होगा।

(रवीन्द्र पत्तार)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश राज्य के वन कार्यालयों/वनमंडलों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

मुख्य अंश

मध्य प्रदेश राज्य के वन कार्यालयों/वनमंडलों की वर्ष 2018-19 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य अंश/प्रमुखताएं निम्नलिखित हैः-

भाग-एक : लेखा

(1) मासिक लेखों की प्रस्तुति में विलंब।

(कंडिका 1.1)

(2) विभागीय आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय में दर्ज आंकड़ों से मिलान।

(कंडिका 1.2)

(3) मुख्य शीर्ष 8782-103 वन चैक/प्रेषण के ''समाधान पत्रक'' मासिक लेखों के साथ प्राप्त न होना।

(कंडिका 1.3)

(4) कोषालय में वन प्रेषण (मुख्य शीर्ष 8782-103-01) के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में कोषालय से प्राप्त चालानों पर अंकित चालान क्रमांक तथा वन मण्डल द्वारा प्रेषित फार्म 15 में अंकित चालान क्रमांक असमान होना।

(कंडिका 1.4)

(5) वन विकास उपकर राशि का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया जाना।

(कंडिका 1.5)

(6) मासिक लेखा के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) प्रगामी आय/व्यय पत्रक (फार्म 7अ/7ब) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेनदेनों से संबंधित लेखा शीर्षों का पूर्ण विवरण अंकित न करना।

(कंडिका 1.6)

(7) वर्ष 2018-19 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत प्राप्ति हेतु अनुमान एवं प्राप्ति का लेखांकन।

(कंडिका 1.7)

(8) मासिक लेखाओं में पायी गई अन्य त्रुटियां/अनियमिततायें।

(कंडिका 1.8)

(9) विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज का लेखे में समायोजन न किया जाना।

(कंडिका 1.9)

भाग-दो- लेखापरीक्षा

(10) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्राप्त न होना।

(कंडिका 2.1.1)

(11) वर्ष 2018-19 के अंत तक वन मण्डलों द्वारा की गयी गंभीर प्रकार की अनियमितताओं के कारण आपत्ति पुस्तकों में लंबित राशि।

(कंडिका 2.1.2)

(12) हानि प्रकरणों पर संबंधित वनमण्डलों द्वारा उचित प्रभावी कार्यवाही न किया जाना।

(कंडिका 2.1.3)

(13) राजस्व प्राप्तियों की स्थानीय लेखा परीक्षा।

(कंडिका 2.2.1)

(14) उचित प्रबंधन एवं लेखा परीक्षण की आपत्तियों पर उचित ध्यान न देने से शासन को हानि।

(कंडिका 2.2.2)

भाग–एक : लेखा

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
मध्य प्रदेश ग्वालियर

वन विभाग की कार्य-प्रणाली की वार्षिक समीक्षा वर्ष 2018-19

-: प्रस्तावना :-

वन विभाग की संरचना अनुसार **प्रधान मुख्य वन संरक्षक** विभाग प्रमुख है, जिसके अधीन वर्ष 2018-19 में भोपाल (विभाग प्रमुख कार्यालय) में स्वत्रंत इकाई के रूप में निम्नलिखित कार्यालय थे :-

1. मुख्य वन संरक्षक (विकास)
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
3. मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
4. वन संरक्षक, राजधानी परियोजना।
5. संयुक्त, संचालक (प्रबंधन परियोजना) वानिकी भोपाल।
6. अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक मूल्यांकन अधिकारी (सामाजिक वानिकी)
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)

उक्त कार्यालयों के अतिरिक्त 16 वनवृत्त कार्यालय तथा निम्नलिखित वन कार्यालयों को आहरण एवं संवितरण अधिकार प्रदत्त थे।

1.	वनमण्डल (क्षेत्रीय)	41
2.	वनमण्डल (उत्पादन)	12
3.	वनमण्डल (सामाजिक वानिकी)	03
4.	वनमण्डल (कार्य आयोजना)	01
5.	वनवृत्त (कार्य आयोजना)	16
6.	वनवृत्त (अनुसंधान एवं विस्तार)	11
7.	वनवृत्त (वन्यप्राणी)	02
8.	राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण	12
9.	वन विद्यालय/महाविद्यालय	04
10.	मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना)	01
	योग	103

इस प्रकार वर्ष 2018-19 में (1+7+16+103) 127 वन मण्डल कार्यरत रहे हैं।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 378/आर 847/चार/ब-1/2006 दिनांक 07.04.2006 द्वारा वन विभाग के निम्नलिखित मुख्य शीर्षों तथा इनके अन्तर्गत उद्धेश्य शीर्षो से संबंधित आहरणों को दिनांक 1 जुलाई 2006 से कोषालय के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा माह जुलाई 2006 से निम्नलिखित शीर्षान्तर्गत लेन-देन कोषालय के माध्यम से किया जा रहा है।

मुख्य शीर्ष 2406 - राजस्व व्यय

11. वेतन, भत्ते

12. मजदूरी

21. यात्रा भत्ता

22. कार्यालय व्यय

33. अनुरक्षण कार्य

35. विज्ञापन एवं प्रचार

41. छात्र वृत्तियां एवं वृत्तियां

मुख्य शीर्ष 4406- पूंजीगत व्यय

मुख्य शीर्ष 2071. पेंशन तथा सेवानिवृत्त हितलाभ

मुख्य शीर्ष 8009. सामान्य भविष्य निधि

मुख्य शीर्ष 8011. शासकीय कर्मचारी बीमा (परिवार कल्याण निधि)

इस प्रकार उक्त शीर्षान्तर्गत किये गये लेन-देनों का लेखा कोषालय लेखे के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त अन्य शीर्षान्तर्गत किये गये लेन-देनों का लेखा पूर्ववत् प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

भाग-एक : लेखा

1. कार्यालयीन प्रयास

पूर्व वर्षों में एवं वर्ष 2018-19 में वन कार्यालयों/मण्डलों द्वारा भेजे जाने वाले मासिक लेखों में पाई गई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं/त्रुटियों, जैसे कि मासिक लेखा विलम्ब से प्रेषित करने तथा विभागीय आकड़ों का पुनर्मिलान न करने/विलम्ब से करने इत्यादि बावत्, संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/बजट नियंत्रण अधिकारियों को समय-समय पर लेख किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त वन वृत्त स्तर पर पूर्व में की गई कार्यशालाओं के माध्यम से वन लेखाओं में हो रही त्रुटियों

को दूर/निराकृत करने हेतु वन कार्यालयों का ध्यान आकर्षित किया गया था। यद्यपि पूर्व की अपेक्षा लेखाओं में त्रुटियां कम हुई है, तथापि अभी भी कुछ त्रुटियां पूर्ववत् की जा रही है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए समय-समय पर पत्रों द्वारा सूचित किया जाता रहा है एवं भविष्य में आवश्यकता होने पर कार्यशाला आयोजित की जाकर त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जायेगा।

1.1 मासिक लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब

वन वित्तीय नियमावली के नियम 219 के अनुसार मासिक लेखे प्रत्येक अगले माह की 12वीं तारीख तथा माह मार्च का लेखा 18वीं तारीख तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब की स्थिति में वन वित्तीय नियमावली के नियम 225 के अनुसार विलम्ब के कारणों से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी निम्नानुसार 282 विलम्बित लेखों के संबंध में कारणों सहित विलम्ब से लेखा भेजने की सूचना अप्राप्त रही तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार में निर्धारित तिथि तक लेखा उपलब्ध कराने में विशेष रूचि नही ली गई, जबकि इस कार्यालय द्वारा मासिक वन लेखाओं के प्राप्ति के विवरण से प्रतिमाह सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अवगत कराया गया। वर्ष 2018-19 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखों की माह-वार स्थिति **परिशिष्ट संख्या-1** में एवं वन मण्डल-वार विवरण **परिशिष्ट संख्या-2** में प्रदर्शित है।

वर्ष 2018-19 में 1524 मासिक लेखा प्राप्त हुए जिसमें से 282 लेखे निम्नानुसार निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त हुए ।

विलम्ब अवधि	**प्राप्त लेखों की संख्या**
1 से 2 दिन	153
3 से 5 दिन	104
6 से 10 दिन	25
कुल योग	**282**

1.2 विभागीय आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय में दर्ज आंकड़ों से मिलान

वन वित्तीय नियमावली के नियम 235 (ब) के अनुसरण में समस्त वन वृत्तों, वन मंडलों के राजस्व एवं व्यय लेखाशीर्ष के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में संधारित आंकड़ों से अंक-मिलान कार्य का उत्तरदायित्व वन संरक्षक का होगा । इस हेतु वे स्वयं विभागीय लेखों में दिये आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में संधारित आंकड़ों का समाधान कार्य कराने हेतु कार्यवाही करेंगे। माह अप्रैल से दिसम्बर तक के लेखाओं का समाधान कार्य प्रत्येक तिमाही में तथा माह जनवरी से मार्च तक प्रत्येक माह किया जाना चाहिये।

वर्ष 2018-19 में 13 वन मण्डलों द्वारा अंक-मिलान कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ठ संख्या-3** में दर्शाया गया है।

1.3 मुख्यशीर्ष 8782-103- वन चैक/प्रेषण के ''समाधान पत्रक'' मासिक लेखों के साथ प्राप्त न होना

प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने वाले मासिक लेखे के साथ चैक/प्रेषण के समाधान पत्रक भेजे जाने चाहिये। इस कार्यालय द्वारा समाधान पत्रक का प्रारूप तैयार कर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) तथा वन मंडलों को भी भेजा है परन्तु अभी भी अधिकांश वन मंडलों के मासिक लेखे के साथ समाधान पत्रक प्राप्त नहीं हो रहे हैं । जिन वन मंडलों के द्वारा समाधान पत्रक भेजे भी जा रहे है, वो मासिक लेखे के साथ न भेजकर काफी विलम्ब से भेजे जारहे है तथा वह निर्धारित प्रारूप में भी नही हैं।

समाधान पत्रक मासिक लेखे के साथ प्राप्त न होकर काफी विलंब से प्राप्त होने से, असमायोजित राजस्व एवं भुगतान हेतु शेष चैकों पर पूर्ण रूप से निगरानी रखना संभव नहीं हो पाने से इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.4 कोषालय में वन प्रेषण (मु.शी. 8782-103-01) के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कोषालय से प्राप्त चालानों पर अंकित चालान क्रमांक तथा वन मंडल द्वारा प्रेषित फार्म 15 में अंकित चालान क्रमांक असमान होना

वन वित्तीय नियमावली के नियम 59 एवं 67 में वन कार्यालयों द्वारा कोषालय में प्रत्येक माह मुख्य शीर्ष 8782-103 वन प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत प्रेषित राशियों का मिलान कोषालय से प्राप्त समेकित कोषालय रसीद (सी.टी.आर.) से कर, इसका समाधान पत्रक एवं सी.टी.आर. मासिक लेखे के साथ,

कार्यालय प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कोषालयों एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार, दोनों ही स्तर पर लेखांकन का कार्य कम्प्यूटरीकृत होने के कारण, यह नितांत आवश्यक हो गया है कि वन मंडल अधिकारी द्वारा प्रेषित लेखे के साथ प्रेषण सूची पर अंकित चालान क्रमांक, कोषालय द्वारा प्रेषित सूची एवं संलग्न चालानों पर अंकित चालान क्रमांक क्रम में हो ताकि चालान क्रमांकों में दोहराव (रिपिटेशन) न हो, तथा कम्प्यूटर प्रणाली में वन मंडलों एवं कोषालयों के चालान क्रमांकों का आपस में मिलान हो सके। साथ ही चालानों पर वन मंडल का नाम अथवा कोड क्रमांक अंकित किया जाना चाहिये।

विगत वर्षों की वार्षिक समीक्षा में भी शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था परन्तु बार-बार लिखे जाने के उपरांत भी वन मण्डलों द्वारा उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वन प्रेषण शीर्ष में लंबित राशि का समायोजन नहीं हो पाने से ऋणात्मक शेष/अंतर की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.5 वन विकास उपकर राशि का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया जाना

पूर्व वर्षों में प्रेषित समीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा बजट प्रावधान के अनुसार संबंधित मुख्य/उप मुख्य/लघुशीर्ष आदि के अंतर्गत वन विकास उपकर से प्राप्त राशि को मुख्य शीर्ष 0406-वन राजस्व के स्थान पर 0045-वस्तुओं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 112-0236 अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत उपकरों से प्राप्तियों के अन्तर्गत लेखांकन नहीं करने की त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। यह भी लेख किया गया था कि इस त्रुटि के कारण संबंधित शीर्ष के अंतर्गत कम राशि लेखाबद्ध होने से, वनों के विकास हेतु स्थापित वन विकास निधि पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, जिससे वनों के विकास के लिए व्यय हेतु कम राशि उपलब्ध हो पाती है।

वन विकास उपकर निधि की राशि, मुख्य शीर्ष 0406 के स्थान पर निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत की जानी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मुख्य शीर्ष	-	0045	-	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क
लघु शीर्ष	-	112	-	अन्य अधिनियमों के अंतर्गत उपकरों से प्राप्तियां
उप शीर्ष	-	0236	-	वन विकास उपकर से प्राप्तियां

1.6 मासिक लेखों के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) प्रगामी आय/व्यय पत्रक (फार्म-7अ/7ब) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेन देनों से संबंधित लेखाशीर्षो का पूर्ण विवरण अंकित न करना।

नियमानुसार विभिन्न लेन-देनों के प्रत्येक अभिलेख पर लेन देन से संबंधित लेखाशीर्ष निम्नानुसार क्रम में अंकित किए जाने चाहिए ।

प्राप्ति	**भुगतान**
राजस्व/प्राप्ति/आय	व्यय/भुगतान
मुख्य शीर्ष,	मांगसंख्या-आयोजना, भारित/दत्तमत
उप मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष
लघु शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष
उप शीर्ष	लघु शीर्ष
विस्तृत शीर्ष ।	समूह शीर्ष
	उप शीर्ष
	विस्तृत शीर्ष
	उप विस्तृत शीर्ष

कुछ वन कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखों के साथ संलग्न, उक्त अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया है कि इन पर उपरोक्तानुसार राजस्व/व्यय के लेखा शीर्ष का पूर्ण वर्गीकरण अंकित नहीं किए गए है। परिणामतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार में लेखांकन में लेन-देन के वर्गीकरण संबंधी त्रुटि हुई है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि रोकड़ लेखे में अंकित व्यय शीर्ष और वर्गीकृत सार (फॉर्म 14) में दर्शाये गये शीर्षों में भिन्नता हैं।

1.7 वर्ष 2018-19 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत प्राप्ति हेतु अनुमान एवं प्राप्ति का लेखांकन

म.प्र.शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-3/33/98/10-2 दिनांक 29.12.1999 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण से संबंधित प्राप्त राशि को संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा संबंधित कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता के अंतर्गत जमा कराया जाना चाहिये ।

वर्ष 2017-18 की भांति ही वर्ष 2018-19 की बजट अनुमान पुस्तिका खंड-2 पृष्ठ संख्या-17 से 19 में ''मुख्य शीर्ष 0406-वानिकी और वन्य जीवन 01 वानिकी (800) अन्य प्राप्तियाँ-0237 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये अन्य विभागों से प्राप्तियाँ'' की राशि 13,99 हजार का बजट अनुमान किया

गया। कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखों के आधार पर इस कार्यालय में संधारित अभिलेख में राशि 1,08,77,193 की प्राप्ति दर्ज की गई।

विभाग के उक्त आदेशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत किया गया बजट अनुमान एवं विभिन्न वन मंडलों द्वारा उक्त राजस्व शीर्षान्तर्गत राशियाँ दर्ज की जाना विभागीय आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

1.8 मासिक लेखाओं में पायी गयी अन्य त्रुटियां/अनियमितताएं

मासिक लेखाओं में निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पाई गई :-

(1) वन वित्तीय नियमावली 226 एव लेखा संहिता भाग-तीन के अनुसार अनुसूचियां निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर न भेजना ।

(2) रोकड़ लेखा के प्राप्ति तथा भुगतान पक्ष के योग की राशि समान न होना।

(3) आय/व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) का योग रोकड़ लेखा में दर्ज आय/व्यय की राशि से मिलान न होना ।

(4) आय/व्यय के प्रगामी अंको के पत्रक (फार्म-7अ/ब) का योग वर्गीकृत सार (फार्म-14) के योग से मिलान न होना ।

(5) अनुसूचियों में उल्लेखित राशियो के योग में त्रुटि होना ।

(6) रोकड़ लेखा में लेखा शीर्ष के कोड क्रमांक व नामावली त्रुटिपूर्ण अंकित करना।

(7) रोकड़ लेखा (प्रपत्र एफ.ए.-1) पर आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा वन मण्डल/वन वृत्त का कोड अंकित नहीं करना।

(8) जी.एस.टी से संम्बंधित प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया जाना।

1.9 विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज का लेखे में समायोजन न किया जाना

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2007 से 2010 की कंडिका क्रमांक 1.6 एवं 1.7 के माध्यम से विभाग के सभी कार्यालयों में कार्यरत समूह ‘‘घ‘‘ कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज की गणना कर देय ब्याज की राशि उक्त कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट करने तथा मुख्य लेखा शीर्ष 2049-ब्याज संदाय,03-अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि पर ब्याज, 104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज, 4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज को डेबिट करने हेतु प्रस्ताव, विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित करने का लेख किया गया था ताकि विभागीय भविष्य निधि

में जमा राशियों पर देय ब्याज का समायोजन संबंधित वित्तीय वर्ष के लेखे में किया जा सके।

वर्ष 2018-19 के लिये कुल 127 वन कार्यालयों में से 86 कार्यालयों से राशि 1,64,55,601 के अंतरण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनका समायोजन अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से वर्ष 2018-19 के लेखे में किया गया। **परिशिष्ट संख्या "4"** में वर्णित 86 कार्यालयों को छोड़कर, शेष कार्यालयों से ब्याज पत्रक प्राप्त नहीं हुये। अपेक्षा की जाती है कि इस समायोजन हेतु प्रतिवर्ष प्रस्ताव आवश्यक रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश ग्वालियर को प्रेषित किये जायेंगे ताकि कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि पर दिये गये ब्याज को मध्यप्रदेश शासन के ब्याज के भुगतान लेखा शीर्ष 2049 को डेबिट किया जा सकें।

शासन के ध्यान में उक्त त्रुटियां/अनियमितताएं लाते हुए भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

भाग-दो : लेखा परीक्षा

भाग-दो : लेखा परीक्षा

2.1 व्यय का स्थानीय लेखा परीक्षण :-

2.1.1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्राप्त न होना

वर्ष 2018-19 में 39 वनमण्डलों के व्यय की लेखा परीक्षा कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) म.प्र. के दल द्वारा की गयी। उक्त 39 वनमण्डलों के निरीक्षण प्रतिवेदन में 268 कंडिका निर्मित हुई जिसमें से किसी भी वन मण्डल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के 5 सप्ताह में प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में किये गये लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति में भी विशेष प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2018-19 के 54 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 337 कंडिकाएं लंबित है। विवरण **परिशिष्ट संख्या ''05''** पर प्रदर्शित है।

2.1.2 वर्ष 2018-19 के अंत तक वनमण्डलों द्वारा की गयी गंभीर प्रकार की अनियमितताओं के कारण आपत्ति पुस्तकों में लंबित राशि

वर्ष 2018-19 में विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा किये गये आपत्तिजनक व्यय के कारण **950** प्रकरणों की राशि रू0 568.19 करोड़ निराकरण हेतु लंबित है विवरण **परिशिष्ट संख्या ''06''** पर प्रदर्शित है।

2.1.3 हानि प्रकरणों पर संबंधित वनमण्डलों द्वारा उचित प्रभावी कार्यवाही न किया जाना

मध्य प्रदेश सामान्य वित्तीय संहिता खण्ड-। के नियम 22 एवं 24 के अनुसार हानि के प्रकरण ध्यान में आते ही, उनके संबंध में की गयी कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, शाखा ग्वालियर को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। वर्ष 1976-77 से 2018-19 के अंत तक राशि 16.23 करोड़ के 2615 हानि प्रकरण लंबित है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट संख्या ''07''** पर प्रदर्शित हैं।

2.2 राजस्व प्राप्तियों की स्थानीय लेखा परीक्षा

2.2.1 महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) लेखा परीक्षा के दल द्वारा वर्ष 2018-19 में वनमण्डलों की राजस्व प्राप्तियों का लेखा परीक्षण किया गया, एवं पाई गई आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभाग को अवगत कराया गया।

वर्ष 2018-19 के अंत तक लेखा परीक्षा से संबंधित 742 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अंतर्गत 3667 कण्डिकाओं की राशि रू0 294463.52 लाख का निराकरण लंबित है जिसका वर्षवार विवरण

परिशिष्ट संख्या ''05'' में दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा आडिट आपत्तियों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।

2.2.2 उचित प्रबंधन एवं लेखा परीक्षण की आपत्तियों पर उचित ध्यान न देने से शासन को हानि

वर्ष 2018-19 में विभिन्न वनमण्डलों के राजस्व लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि, वनमण्डलों द्वारा उचित प्रबंधन एवं सावधानी न रखने के फलस्वरूप जैसे - वनोपज निपटान हेतु समुचित प्रबंध न किया जाना, वनोपज की कमी पर ध्यान न देना, लकड़ी के अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन के अंतर पर ध्यान न देना एवं विक्रय कर की प्राप्तियों को अनावश्यक रोकना इत्यादि, कारणों से शासन को करोड़ो रूपये की हानि हुई है। राजस्व निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से इस हानि को कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लाया गया है ।

अतः शासन से अपेक्षा है कि लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा दल द्वारा ध्यान में लाई गयी आपत्तियों एवं हानि प्रकरणों के संबंध में, संबंधित विभागों को तुरंत कार्यवाही करने एवं जानकारी कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) मध्य प्रदेश, शाखा ग्वालियर कार्यालय को तुरंत भिजवाने हेतु निर्देशित किया जावे।

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या-1
(सन्दर्भ कंडिका 1.1)
वर्ष 2018-19 में विलंब से प्राप्त मासिक लेखों की स्थिति

माह	कुल लेखे	निर्धारित तिथि तक प्राप्त लेखे	विलंब से प्राप्त लेखे
4/2018	127	120	07
5/2018	127	96	31
6/2018	127	100	27
7/2018	127	81	46
8/2018	127	83	44
9/2018	127	107	20
10/2018	127	90	37
11/2018	127	112	15
12/2018	127	117	10
01/2019	127	115	12
02/2019	127	100	27
03/2019	127	121	06
योग	**1524**	**1242**	**282**

परिशिष्ट - संख्या-2
(संदर्भ कंडिका 1.1)
तीन या तीन से अधिक माह के विलम्ब से प्राप्त हुए मासिक लेखों का विवरण पत्रक

स.क्र.	कोड संख्या	कार्यालय का नाम	माह जिसमें लेखें विलम्ब से प्राप्त हुये	कुल माह
1.	048	वन मण्डलाधिकारी दमोह	04/2018,06/2018, 07/2018,10/2018,11/2018, 01/2019,02/2019	7
2.	040	वन संरक्षक राजधानी परियोजना, भोपाल	04/2018,07/2018,02/2019	3
3.	193	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) सिगंरौली	04/2018,06/2018,07/2018, 08/2018,10/2018,12/2018	6
4.	166	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) सतना	04/2018,05/2018,08/2018	3
5.	339	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) वृत्त, रीवा	04/2018,05/2018,06/2018, 07/2018,08/2018,09/2018, 10/2018,11/2018,01/2019, 02/2019	10
6.	318	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) वृत्त, रतलाम	05/2018,06/2018,07/2018, 08/2018,09/2018,10/2018, 11/2018,02/2019	8
7.	194	संचालक संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी	05/2018, 08/2018, 09/2018	3
8.	360	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल	04/2018,06/2018,08/2018	3
9.	124	संचालक राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना	05/2018,11/2018,02/2019	3
10.	010	मुख्य वन संरक्षक विकास, भोपाल	05/2018,06/2018,07/2018, 10/2018	4
11.	116	वनमण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) उज्जैन	05/2018,06/2018,07/2018, 08/2018,10/2018	5
12.	169	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) सीहोर	05/2018,06/2018,07/2018, 08/2018,10/2018,01/2019	6
13.	346	वनमण्डलाधिकारी अलीराजपुर	05/2018,07/2018,08/2018, 10/2018,01/2019	5
14.	333	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार)	05/2018,07/2018,08/2018, 09/2018,10/2018,01/2019, 02/2019	7
15.	335	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) इन्दौर	05/2018,07/2018,12/2018	3

16.	055	वनमंडलाधिकारी, धार	05/2018,06/2018,07/2018, 08/2018,09/2018,10/2018, 11/2018,01/2019	8
17.	347	वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) सिवनी	05/2018,07/2018,10/2018, 02/2019	4
18.	017	प्राचार्य वनपाल महाविद्यालय, बालाघाट	05/2018,07/2018,01/2019	3
19.	343	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) बालाघाट	05/2018,07/2018,12/2018	3
20.	014	वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) दक्षिण, बालाघाट	05/2018,06/2018,08/2018	3
21.	012	वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) उत्तर, बालाघाट	05/2018,06/2018,08/2018, 11/2018,02/2019	5
22.	011	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण, बालाघाट	05/2018,06/2018,09/2018	3
23.	313	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) होंशगाबाद	05/2018,06/2018,07/2018, 08/2018	4
24.	316	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छिंदवाड़ा	05/2018,07/2018,08/2018 11/2018,01/2019,02/2019	6
25.	303	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन), मण्डला	05/2018,06/2018,07/2018, 08/2018,09/2018	5
26.	072	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) वृत्त, जबलपुर	05/2018,06/2018,07/2018, 09/2018,10/2018,11/2018, 02/2019	7
27.	188	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) छतरपुर	06/2018,07/2018,08/2018, 09/2018	4
28.	162	वनमण्डलाधिकारी नौरादेही, सागर	06/2018,08/2018,09/2018, 10/2018,11/2018,12/2018, 01/2019	7
29.	326	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) सागर	06/2018,07/2018,08/2018 09/2018,10/2018,02/2019, 03/2019	7
30.	184	संचालक वन विद्यालय अमरकंटक, अनूपपुर	06/2018,08/2018,12/2018, 02/2019	4
31.	183	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) उमरिया	06/2018,08/2018,10/2018, 02/2019	4
32.	322	वनमण्डलाधिकारी, अनुपपुर	06/2018,07/2018,09/2018, 10/2018,02/2019	5
33.	052	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) देवास	06/2018,07/2018,08/2018, 10/2018,02/2019	5
34.	100	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) बड़वाह	06/2018,01/2019,02/2019	3

35.	317	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सिवनी	06/2018,07/2018,08/2018, 11/2018	4
36.	324	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छतरपुर	07/2018,11/2018,02/2019	3
37.	185	संचालक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया	07/2018,08/2018,09/2018, 10/2018,12/2018,02/2019	6
38.	001	प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, भोपाल	07/2018,08/2018,10/2018	3
39.	050	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) देवास	07/2018,08/2018,09/2018, 10/2018	4
40.	102	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) सेंधवा	07/2018,11/2018,02/2019	3
41.	340	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) वृत्त, भोपाल	07/2018,08/2018,/10/2018	3
42.	314	वन सरंक्षक (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	07/2018,08/2018,10/2018, 02/2019	4
43.	199	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) भोपाल	07/2018,08/2018,09/2018, 10/2019	4
44.	118	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) मंदसौर	08/2018,09/2018,10/2018	3
45.	045	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण, छिंदवाडा	08/2018,10/2018,11/2018,	3
46.	044	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) पश्चिम, छिंदवाडा	08/2018,10/2018,11/2018, 12/2018,02/2019	5
47.	115	संचालक वन विहार (जू) राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल	09/2018,10/2018,01/2019	3
48.	104	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) बुरहानपुर	10/2018,07/2018,02/2019,	3
49.	301	वनमंडलाधिकारी कूनो वन्य प्राणी, श्योपुर	10/2018,12/2018,01/2019	3

परिशिष्ट संख्या-3

(संदर्भ कंडिका 1.2)

वर्ष 2018-19 में वनमंडलों द्वारा जिन माहों का अंक-मिलान नहीं किया गया, की सूची निम्नलिखित है-

स.क्र.	कोड संख्या	वन मण्डल	माह जिसका अंक-मिलान नहीं किया गया
1.	324	मुख्य वन संरक्षक (विकास) भोपाल	10/2018 से 03/2019 तक
2.	027	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल	10/2018 से 03/2019 तक
3.	030	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) भोपाल	02/2019 से 03/2019 तक
4.	323	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) उज्जैन	04/2018 से 03/2019 तक
5.	149	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रायसेन	11/2018 से 03/2019 तक
6.	197	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) राजगढ़	04/2018 से 03/2019 तक
7.	314	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	04/2018 से 03/2019 तक
8.	340	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	04/2018 से 03/2019 तक
9.	360	राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल	01/2019 से 03/2019 तक
10.	335	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) इन्दौर	04/2018 से 03/2019 तक
11.	287	उपवन संरक्षक (पर्यावरण विकास) पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी	04/2018 से 03/2019 तक
12.	343	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) बालाघाट	04/2018 से 03/2019 तक
13.	190	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) शिवपुरी	11/2018 से 03/2019 तक

परिशिष्ट संख्या-4
(संदर्भ कंडिका 1.9)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज की राशि का शासकीय लेखे में समायोजन कराने हेतु विवरण भेजने वाले वन कार्यालयों की सूची

स.क्र.	वन कार्यालय का नाम	विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज की राशि
1.	वनसंरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) वृत्त, रतलाम	3,46,131
2.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण, बैतुल	10,04,728
3.	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल	2,31,540
4.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) पूर्व छिंदवाड़ा	47,906
5.	वनसंरक्षक (कार्यआयोजना) खण्डवा	20,728
6.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) शहडोल	1,38,018
7.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) खण्डवा	1,11,696
8.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) झाबुआ	41,408
9.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सतना	9,17,636
10.	वनसंरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) बैतुल	3,28,270
11.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) हरदा	63,934
12.	वन मण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) पन्ना	94,129
13.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) विदिशा	97,735
14.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) गुना	2,84,689
15.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) उमरिया	1,56,403
16.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) हरदा	92,440
17.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) पन्ना	13,857
18.	वनसंरक्षक (कार्य आयोजना) उज्जैन	1,79,272
19.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण छिंदवाड़ा	86,228
20.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) उज्जैन	3,01,356
21.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) अशोकनगर	5,06,063
22.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) शहडोल	1,39,183
23.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) शहडोल	2,02,941
24.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य)उमरिया	2,57,841
25.	संचालक वन विद्यालय अमरकंटक, अनूपपुर	30,015
26.	संचालक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया	4,47,224

27.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) रीवा	16,679
28.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रीवा	1,41,001
29.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सीधी	1,67,140
30.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य)सतना	3,06,656
31.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य)जबलपुर	1,75,551
32.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य)डिण्डोरी	55,255
33.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) पूर्व मण्डला	45,304
34.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) पश्चिम मण्डला	63,604
35.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सिवनी	1,72,766
36.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) मण्डला	44,011
37.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) उत्तर सिवनी	1,29,155
38.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण सिवनी	84,205
39.	वन मण्डलाधिकारी उत्पादन सिवनी	30,545
40.	वन मण्डलाधिकारी छत्तरपुर	1,11,705
41.	वन मण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना	94,129
42.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना	15,604
43.	मुख्य वनसंरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार भोपाल	73,302
44.	संयुक्त संचालक सामुदायिक वन प्रबंधन भोपाल	81,896
45.	वनसंरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार भोपाल	105,271
46.	संचालक वन विहार (जू) राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल	33,237
47.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) भोपाल	1,52,764
48.	वन मण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज, भोपाल	67,547
49.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सीहोर	2,11,428
50.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) राजगढ़	3,36,970
51.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रायसेन	2,24,355
52.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) उत्तर बालाघाट	73,360
53.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण बालाघाट	56,738
54.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) उत्तर बालाघाट	22,874
55.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण छिंदवाड़ा	63,164
56.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) पश्चिम छिंदवाड़ा	57,292
57.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सागर	1,26,392
58.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) इन्दौर	1,23,132
59.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) झाबुआ	41,408
60.	वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर	86,915

61.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) होशंगाबाद	1,66,857
62.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) हरदा	64,903
63.	वन संरक्षक (अनसंधान एवं विस्तार) रतलाम	54,570
64.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) उज्जैन	63,074
65.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) देवास	2,72,243
66.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) नीमच	73,789
67.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) मंदसौर	2,58,496
68.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रतलाम	72,929
69.	वन मण्डलाधिकारी, शाजापुर	1,39,915
70.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) देवास	61,129
71.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) शिवपुरी	1,22,722
72.	संचालक वन विद्यालय शिवपुरी	50,985
73.	वन मण्डलाधिकारी, ग्वालियर	2,32,432
74.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) दतिया	24,952
75.	वनसंरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) बैतुल	3,28,270
76.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण बैतुल	10,04,728
77.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) उत्तर बैतुल	12,62,999
78.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) पश्चिम बैतुल	8,96,284
79.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) बैतुल	7,61,084
80.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) खण्डवा	20,728
81.	वनसंरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) वृत्त खण्डवा	1,49,571
82.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) खण्डवा	1,42,654
83.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) बुरहानपुर	71,417
84.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) खरगोन	2,51,400
85.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) बड़वाह	75,450
86.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सेंधवा	99,294
	योग	**1,64,55,601**

परिशिष्ट संख्या-5
(संदर्भ कंडिका 2.1.1 एवं 2.2.1)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कण्डिकाओं का वर्षवार विवरण 2018-19 तक
मासिक बकाया प्रतिवेदन 03/2019
संवरण के समय छः माह से पुराने बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकायें

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका	राशि (लाख में)
2010-11	164	283	22475.11
2011-12	50	261	1233.09
2012-13	110	708	59093.75
2013-14	72	354	14754.29
2014-15	81	450	39682.18
2015-16	69	468	26957.29
2016-17	73	416	48920.16
2017-18	69	390	51946.67
2018-19	54	337	29400.98
योग	**742**	**3667**	**294463.52**

परिशिष्ठ संख्या-6

(संदर्भ कंडिका 2.1.2)

वर्ष 2018-19 तक लंबित आपत्तिगत मदों का ब्यौरा

स.क्रं.	आपत्ति का कारण	आपत्तिगत की संख्या	आपत्तियों में निहित राशि
1.	स्वीकृति का प्राप्त न होना	61	17,75,80,501
2.	भुगतान प्राप्तकर्ता की प्राप्ति रसीद का न होना	85	40,46,70,666
3.	अनियमित भुगतान के संबंध में	162	1,45,23,78,171
4.	शासकीय कर्मचारियों को दिये गये अग्रिमों की लंबित राशि	05	11,843
5.	प्रमाणकों में अनियमितताओं के संबंध में	461	2,18,99,22,143
6.	अन्य कारणों से अमान्य की गई राशि	176	1,45,73,00,209
	योग	**950**	**5,68,18,63,533**

परिशिष्ट संख्या-7
(संदर्भ कंडिका 2.1.3)
वर्ष 2018-19 के अंत तक लंबित हानि प्रकरणों का विवरण पत्रक

वर्ष	राशि	प्रकरणों की संख्या	निराकृत राशि	निराकृत प्रकरणों की संख्या	शेष राशि	प्रकरणों की संख्या
1976-1977	1184803	128	11862	1	1172941	127
1977-1978	275947	12	0	0	275947	12
1978-1979	462121	30	0	0	462121	30
1979-1980	514482	31	24101	1	490381	30
1980-1981	813452	66	0	0	813452	66
1981-1982	228381	21	0	0	228381	21
1982-1983	117265	10	0	0	117265	10
1983-1984	272284	26	0	0	272284	26
1984-1985	523990	15	0	0	523990	15
1985-1986	2125104	64	0	0	2125104	64
1986-1987	1559369	56	0	0	1559369	56
1987-1988	4261323	160	7500	1	4253823	159
1988-1989	1854146	146	70155	1	1783991	145
1989-1990	1480871	113	0	0	1480871	113
1990-1991	3354181	99	0	0	3354181	99
1991-1992	2604565	81	0	0	2604565	81
1992-1993	4563218	69	0	0	4563218	69
1993-1994	1269499	55	540	1	1268959	54
1994-1995	1986598	68	146465	3	1840133	65
1995-1996	2613078	66	0	0	2613078	66
1996-1997	2225718	36	0	0	2225718	36
1997-1998	8879572	110	0	0	8879572	110
1998-1999	14123247	98	77341	1	14045906	97
1999-2000	6122772	58	176407	1	5946365	57
2000-2001	2877531	52	0	0	2877531	52
2001-2002	1653011	38	0	0	1653011	38
2002-2003	5766053	42	84900	1	5681153	41
2003-2004	2492469	32	0	0	2492469	32
2004-2005	1797620	26	0	0	1797620	26
2005-2006	6450425	43	0	0	6450425	43
2006-2007	6215225	40	0	0	6215225	40
2007-2008	2229913	19	0	0	2229913	19
2008-2009	1723216	15	0	0	1723216	15
2009-2010	29150881	18	0	0	29150881	18
2010-2011	598817	12	0	0	598817	12
2011-2012	1019288	22	0	0	1019288	22
2012-2013	9811169	101	94440	1	9716729	100
2013-2014	3343326	58	368294	4	2975032	54
2014-2016	3040268	41	0	0	3040268	41
2016-2016	9465898	157	9521	3	9456377	154
2016-2017	6412067	127	152595	23	6259472	104
2017-2018	2478918	260	176722	151	2302196	109
2018-2019	4763175	430	967714	343	3795461	87
Total	**164705256**	**3151**	**2368557**	**536**	**162336699**	**2615**